संख्या– 1588 एसटीए/2013–37एसटीए/2011

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र),
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

एसटीए अनुभाग।   लखनऊः दिनांकः 2 जुलाई, 2013

विषयः–कैरेज बाई रोड एक्ट, 2007 एवं कैरेज बाई रोड रूल्स, 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने क संबंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–392एसटीए/2012–37एसटी/2011, दिनांक 12.03.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि अपने अधिक्षेत्र के सामान्य वाहक के पंजीयन की कार्यवाही कर प्रत्येक माह में की गयी पंजीयन की सूचना अगले माह के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध करायी जाय। उक्त क्रम में अब तक बरेली संभाग में 05 एवं सहारनपुर संभाग में 08 कारोबारियों के पंजीयन की ही सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में अनुस्मारक पत्र संख्या 120(जी)/12–37एसटीए/2011, दिनांक 13.09.2012, 997/12–37एसटीए/2011, दिनांक 18.10.2012, 177(जी)/12–37एसटीए/2011, दिनांक 16.01.2013 एवं 154/13–37एसटीए/ 2011 दिनांक 31.01.2013 द्वारा अनुस्मरण भी कराया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि अपने–अपने कारोबारियों एवं संभाग में अन्य कारोबारियों को चिन्हित कर पंजीयन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करायें, किन्तु सामान्य वाहक के पंजीयन के संबंध में कोई कार्यवाही नही की जा रही है, जो अत्यन्त ही आपत्ति जनक है।

उल्लेख योग्य है कि समान्य वाहक की श्रेणी में माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल के संग्रहण, भण्डारण, प्रेषण एवं वितरण करने वाले कारबार में लगा व्यक्ति, कम्पनी , ठेकेदार, अभिकर्ता या ब्रोकर सम्मिलित है और ऐसा कुरियर अभिकरण भी सम्मिलित है, जो दस्तावेजो, माल या वस्तुओं के द्वार–द्वार तक परिवहन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके लगा हुआ है। सामान्य वाहक की इस परिभाषा के आलोक में आप द्वारा कारबारियों का पंजीयन न किया जाना यह इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश में उक्त कारबार हो ही नही रहा है, जबकि वास्तविक्ता यह है कि उक्त कारबार को करने वाले व्यक्ति को कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से देख सकता है। सुलभ रूप से दिखायी पड़ने वाले कारबार के प्रति आप द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना आपकी संवेदनहीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता का द्योतक है।

उक्त क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कारबार में लिप्त अपंजीकृत कारोबारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें और माह में कृत कार्यवाही की सूचना अगले माह की पांचवी तारीख तक संलग्न प्रारुप में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

-sd-
(रजनीश गुप्ता)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रारुप</u>

संभाग का नाम–
माह

<u>कैरज बाई रोड एक्ट, 2007 एवं कैरज बाई रोड रुल्स, 2011 के अन्तर्गत पंजीकृत कारोबारियों का विवरण</u>

क्र.सं.	चिन्हित कारोबारी		पंजीकृत कारोबारी		पंजीकरण हेतु अवशेष कारोबारी
	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	